संख्या–4029/9–आ–4–2002–529–एन/2002

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊः दिनाँक–31 दिसम्बर, 2002

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2873/9–आ–4–2002–152एन/2000 टी0सी0, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में कतिपय जनपदों द्वारा उक्त शासनादेश जारी हाने के पूर्व के मामले में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन की अपेक्षा की गयी है :–

(1) दिनांक 10.12.2002 के पूर्व लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण वर्ष, 1994 के सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा अथवा वर्तमान सर्किल रेट पर फ्री–होल्ड किया जायेगा।

(2) दिनांक 10.12.2002 के पूर्व नामित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदनों को नयी नीति की व्यवस्था के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाय अथवा नहीं?

2. उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 2873/9–आ–4–2002–152एन/2000, टी0सी0 दिनांक 10–12–2002 द्वारा प्रतिपादित नीति तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। अतः दिनांक 10.12.2002 से पूर्व में जिन आवेदकों ने स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करते हुये चालान की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था, तथा फ्री–होल्ड की पात्रता सम्बन्धी समस्त निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण

कर दी थी उन प्रकरणों में तत्कालीन नीति अनुसार दरें व शर्तें लागू होगी। ऐसे मामलों में शासनादेश दिनांक 10.12.2002 लागू नहीं होगा।

3. इसी प्रकार वर्तमान में शासनादेश दिनांक 10.12.2002 के प्रस्तर–3 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नामित श्रेणी में फ्री–होल्ड किये जाने की व्यवस्था को शासनादेश दिनांक 10.12.2002 द्वारा ही समाप्त किया गया है। अतः पूर्व नीति के तहत नामित श्रेणी में जिन आवेदकों द्वारा फ्री–होल्ड के लिए आवेदन किया गया है तथा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी गयी थी उनके सन्दर्भ में वर्तमान नीति अर्थात शासनादेश दिनांक 10.12.2002 लागू नहीं होगा।

4. नजूल फ्री–होल्ड विषयक मामले में जहाँ तक फ्री–होल्ड हेतु सर्किल रेट का प्रश्न है यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 2961/9–आ–4–99–350एन/99टी0सी0 दिनांक 3 दिसम्बर, 1999 द्वारा पूर्व में यह निदेशित किया गया था कि दिनांक 30.06.1999 तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा करते हुये चालान की प्रति के साथ आवेदन दिये जाने पर फ्री–होल्ड की कार्यवाही 30.11.1991 के सर्किल रेट पर की जायेगी तथा दिनांक 30.6.1999 के उपरान्त दिनांक 1.4.1994 के सर्किल रेट के आधार पर फ्री–होल्ड किया जायेगा। चूँकि शासनादेश दिनांक 10.12.2002 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अतः दिनांक 10.12.2002 के पूर्व में दिये गये आवेदनों पर फ्री–होल्ड की कार्यवाही दिनांक 1.4.1994 के सर्किल रेट के आधार पर ही की जायेगी न कि वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर।

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 3731/9–आ–4–2000–17जी/ 99, दिनांक 4 जनवरी, 2000 द्वारा स्थानीय निकाय के किरायेदारों के पक्ष में फ्री–होल्ड की कार्यवाही के निमित्त जो प्रतिबन्ध एवं स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्राप्त करने की व्यवस्था लागू की गयी थी उसे नीति सम्मत न होने की कारण एतत् द्वारा निरस्त किया जाता है।

अतः कृपया फ्री–होल्ड के मामलों में उक्त निर्देशानुसार अग्रतर कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि राजस्व प्राप्ति यथा लक्ष्य सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

जे0 एस0 मिश्र
सचिव।